दैनिक राष्ट्रीय डिजिटल समाचार पत्र

PADMAVAT MEDIA
न रिश्वत लेंगे, न रिश्वत देंगे

Reg.No.MH180326353

# पदमावत मीडिया

• डिजिटल संस्करण महाराष्ट्र एवं राजस्थान से प्रकाशित •

www.padmavatmedia.in
padmavatmedia@gmail.com

• न रिश्वत लेंगे, न रिश्वत देंगे •

• वर्ष : 13 • डिजिटल अंक : 76 • मुंबई, शुक्रवार, 13 नवंबर, 2026 • प्रधान सम्पादक : पवन जैन पदमावत • कुल पृष्ठ : 04 • मूल्य : 0.00 • नि:शुल्क

## खबर संक्षेप

### सलूंबर में पंचायतीराज चुनाव: जयसमंद, झल्लारा और सराड़ा में आज शाम 6 बजे से मौन अवधि शुरू

सलूंबर @ पदमावत मीडिया। पंचायतीराज आम चुनाव-2026 के चतुर्थ




चरण के तहत जयसमंद, झल्लारा एवं सराड़ा में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य पदों के लिए 14 नवंबर तथा सरपंच एवं वार्ड पंच पदों के लिए 16 नवंबर को मतदान कराया जाएगा। स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिए मतदान से 48 घंटे पूर्व गुरुवार 12 नवंबर को शाम 6 बजे से मौन अवधि प्रारंभ होगी, जो 16 नवंबर को मतदान समाप्ति तक प्रभावी रहेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर मुहम्मद जुनेद पी.पी. ने बताया कि मौन अवधि के दौरान आदर्श आचार संहिता की सख्ती से पालना कराई जाएगी। इस अवधि में किसी भी प्रकार की सार्वजनिक सभा, नुक्कड़ सभा, रोड शो, जनसभा, पदयात्रा अथवा निर्वाचन से संबंधित जुलूस का आयोजन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। राजनीतिक दलों, अभ्यर्थियों एवं उनके समर्थकों द्वारा मतदाताओं को प्रभावित करने के उद्देश्य से प्रचार-प्रसार, जनसंपर्क कार्यक्रम अथवा नाट्य प्रस्तुति भी आयोजित नहीं की जा सकेगी। मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में प्रचार, मत याचना, एकत्रीकरण और प्रचार सामग्री का वितरण प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने बताया कि 14 एवं 16 नवंबर को मतदान दिवस तथा उससे पूर्व की 48 घंटे की अवधि में संपूर्ण मतदान क्षेत्र में मदिरा का वितरण, परिवहन, भंडारण और सेवन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इस दौरान किसी भी अभ्यर्थी अथवा राजनीतिक दल द्वारा चलचित्र, टेलीविजन, सोशल मीडिया या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से निर्वाचन संबंधी प्रचार-प्रसार नहीं किया जा सकेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि 16 नवंबर को मतदान समाप्ति तक एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल अथवा किसी भी प्रकार के सर्वेक्षण के परिणाम किसी भी माध्यम से प्रकाशित, प्रसारित या प्रचारित नहीं किए जा सकेंगे। मतदाताओं को मतदान केंद्र तक ले जाने के लिए वाहनों का उपयोग भी प्रतिबंधित रहेगा। हालांकि, दिव्यांग एवं वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं के लिए निर्धारित शासकीय परिवहन व्यवस्था को इससे छूट रहेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को आदर्श आचार संहिता के सभी प्रावधानों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करने तथा किसी भी प्रकार के उल्लंघन की स्थिति में नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराना है।

### राजसमंद विधानसभा की प्रारूप मतदाता सूची जारी, 3,387 मतदाता बढ़े

राजसमंद @ पदमावत मीडिया। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 के तहत विधानसभा क्षेत्र 175-राजसमंद की प्रारूप मतदाता सूची



गुरुवार को प्रकाशित की गई। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ओम प्रभा के अनुसार सूची में कुल 2 लाख 28 हजार 41 मतदाता हैं, जिनमें 1 लाख 16 हजार 54 पुरुष, 1 लाख 11 हजार 986 महिलाएं और एक ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं। पिछली अंतिम सूची की तुलना में 3 हजार 387 मतदाताओं की वृद्धि हुई है। सूची में 4 हजार 209 वरिष्ठ नागरिक, 2 हजार 496 युवा और 2 हजार 967 दिव्यांग मतदाता भी दर्ज हैं। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को प्रारूप सूची की प्रतियां उपलब्ध कराई गईं। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, हटवाने या संशोधन के लिए 11 दिसंबर 2026 तक क्रमशः फॉर्म-6, 7 और 8 के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। आवेदन वोटर्स सर्विस पोर्टल, ईसीआईनेट ऐप, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय या संबंधित बीएलओ के माध्यम से किए जा सकते हैं।

## सलूंबर में पंचायतीराज चुनाव को लेकर कानून-व्यवस्था की तैयारियों की समीक्षा

# संवेदनशील मतदान केंद्रों पर रहेगा अतिरिक्त पुलिस जाब्ता

**पदमावत मीडिया**
padmavatmedia@gmail.com

**सलूंबर।** पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 के तहत जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त मतदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 12 नवंबर को जिला निर्वाचन अधिकारी मुहम्मद जुनैद पी.पी. एवं पुलिस अधीक्षक विशनाराम विश्नोई की अध्यक्षता में कानून एवं व्यवस्था संबंधी तैयारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. दिनेश राय सापेला एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रतन चावला ने निर्वाचन संबंधी सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

बैठक में संवेदनशील एवं अतिसंवेदनशील मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस बल की तैनाती, फ्लैग मार्च, नाकाबंदी, आपराधिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई, ईवीएम की सुरक्षा, मतदान दलों की रवानगी एवं वापसी, स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग तथा मतदान और मतगणना के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।

#### आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई

जिला निर्वाचन अधिकारी मुहम्मद जुनैद पी.पी. ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्वाचन के दौरान आदर्श आचार संहिता की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जाए। किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरती जाए और निर्वाचन नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी निर्वाचन संपन्न करवाना प्रशासन और पुलिस की सामूहिक जिम्मेदारी है। सभी अधिकारी आपसी समन्वय से कार्य करते हुए निर्वाचन संबंधी व्यवस्थाएं समयबद्ध तरीके से पूरी करें। संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरती जाए और प्रत्येक परिस्थिति से निपटने के लिए पहले से आवश्यक तैयारियां रखी जाएं।

#### संवेदनशील मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त पुलिस जाब्ता, मुख्य द्वार पर भी रहेगी निगरानी

पुलिस अधीक्षक विशनाराम विश्नोई ने संवेदनशील एवं क्रिटिकल मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने पर जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि मतदान केंद्रों के 200 मीटर एवं 100 मीटर के दायरे के साथ-साथ मुख्य प्रवेश द्वार पर भी पर्याप्त पुलिस जाब्ता तैनात रहे। सुरक्षा व्यवस्था के लिए क्षेत्रवार आवश्यकताओं का आकलन कर पुलिस बल







का प्रभावी नियोजन किया जाए। मतदान केंद्रों के आसपास स्थित मकानों, दुकानों एवं अन्य स्थानों पर भी विशेष निगरानी रखी जाए, ताकि निर्वाचन प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली किसी भी गतिविधि को समय रहते रोका जा सके।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने संवेदनशील एवं अतिसंवेदनशील मतदान केंद्रों की अंतिम सूची तैयार कर प्रत्येक केंद्र की स्थिति के अनुरूप सुरक्षा कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने और संबंधित क्षेत्रों में नियमित निगरानी रखने को कहा गया।

#### फ्लैग मार्च और नाकाबंदी से मजबूत होगी सुरक्षा व्यवस्था

जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदाताओं में सुरक्षा का विश्वास कायम करने तथा भयमुक्त वातावरण में मतदान सुनिश्चित करने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में प्रभावी फ्लैग मार्च एवं रूट मार्च आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि फ्लैग मार्च की कार्ययोजना व्यवस्थित तरीके से तैयार की जाए तथा आवश्यकता के अनुसार पैदल मार्च और वाहनों के माध्यम से सुरक्षा व्यवस्था का प्रदर्शन किया जाए।

प्रमुख मार्गों एवं संवेदनशील क्षेत्रों में नाकाबंदी और वाहनों की जांच प्रभावी ढंग से करने के निर्देश भी दिए गए। निर्वाचन प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखने तथा पुलिस एवं प्रशासन के संयुक्त समन्वय से कार्रवाई करने को कहा गया, ताकि मतदाता बिना किसी दबाव, भय अथवा प्रलोभन के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।

#### आपराधिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों पर रहेगी विशेष निगरानी

बैठक में आपराधिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों की सूची, पाबंद किए गए व्यक्तियों की अद्यतन स्थिति तथा कानून एवं व्यवस्था की दृष्टि से आवश्यक निरोधात्मक कार्रवाई की समीक्षा की गई। जिला निर्वाचन अधिकारी ने शांति भंग करने की आशंका वाले व्यक्तियों की पहचान कर नियमानुसार समयबद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए। निर्वाचन के दौरान किसी भी अवांछित गतिविधि की सूचना मिलने पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया।

#### ईवीएम, स्ट्रॉन्ग रूम और मतदान सामग्री की सुरक्षा की समीक्षा

बैठक में फोर्स डिप्लॉयमेंट प्लान के तहत मतदान केंद्रों, संवेदनशील क्षेत्रों एवं अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर पुलिस बल की तैनाती की कार्ययोजना की समीक्षा की गई। मतदान के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के साथ ईवीएम एवं निर्वाचन सामग्री की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।

मतदान समाप्त होने के बाद ईवीएम एवं निर्वाचन सामग्री को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने तथा स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा के संबंध में भी चर्चा की गई। अधिकारियों को निर्धारित सुरक्षा प्रोटोकॉल की पूर्ण पालना सुनिश्चित करने और किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए गए।

#### मतदान दलों की रवानगी से वापसी तक रहेगा समन्वय

उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. दिनेश राय सापेला ने मतदान दलों की रवानगी, मतदान केंद्रों तक पहुंचने, मतदान प्रक्रिया संपन्न होने तथा मतदान के बाद ईवीएम एवं निर्वाचन सामग्री के साथ वापसी तक की व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने प्रत्येक चरण के लिए स्पष्ट रूट प्लान तैयार रखने तथा मतदान दलों की सुरक्षित आवाजाही के लिए पुलिस एवं प्रशासन के बीच प्रभावी समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए। रूट प्रभारी अधिकारियों के नाम, मोबाइल नंबर एवं अन्य आवश्यक जानकारियां संबंधित निर्वाचन प्रकोष्ठों, कार्मिक कल्याण प्रकोष्ठ तथा पुलिस अधिकारियों के पास उपलब्ध रखने को कहा गया, ताकि आवश्यकता पड़ने पर त्वरित कार्रवाई की जा सके। मतदान दलों की समय पर ब्रीफिंग करने और सभी संबंधित कार्मिकों को आवश्यक दिशा-निर्देश उपलब्ध करवाने पर भी जोर दिया गया।

#### चुनाव सामग्री वितरण, यातायात और मतगणना की तैयारियों की समीक्षा

बैठक में चुनाव सामग्री के वितरण एवं प्राप्ति के दौरान यातायात प्रबंधन, वाहनों की आवाजाही, प्रवेश-निकास तथा पार्किंग व्यवस्था की समीक्षा की गई। अधिकारियों को सामग्री वितरण स्थलों पर पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए, ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न नहीं हो। मतगणना स्थल पर पुलिस बल की तैनाती, सुरक्षा प्रबंधों एवं फोर्स डिप्लॉयमेंट प्लान पर भी चर्चा हुई। पंच एवं सरपंच चुनाव की मतगणना के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक तैयारियां समय रहते पूरी करने को कहा गया।

#### सोशल मीडिया पर भ्रामक सूचनाओं और अफवाहों पर रहेगी नजर

जिला निर्वाचन अधिकारी ने सोशल मीडिया पर सतत निगरानी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्वाचन संबंधी भ्रामक सूचनाओं, अफवाहों एवं आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़ी सामग्री पर विशेष नजर रखी जाए। अधिक फॉलोअर्स वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की गतिविधियों की भी निगरानी की जाए। निर्वाचन प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले किसी भी प्रयास पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए तथा संवेदनशील सामग्री का समय पर संज्ञान लेकर तथ्यात्मक स्थिति स्पष्ट करने की व्यवस्था रखी जाए।

#### डाक मतपत्र, शस्त्र जमा कराने और बूथ मैनेजमेंट प्लान की समीक्षा

बैठक में डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान करने वाले संबंधित विभागीय अधिकारियों एवं पुलिस कार्मिकों के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। शस्त्र जमा कराने की स्थिति की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्धारित नियमों के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने रिटर्निंग अधिकारियों, सहायक रिटर्निंग अधिकारियों, सर्किल प्रभारियों तथा थाना प्रभारियों से उनके क्षेत्रों की निर्वाचन तैयारियों और कानून-व्यवस्था संबंधी प्रबंधों की जानकारी ली। सभी अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र का बूथ मैनेजमेंट प्लान तैयार रखने और मतदान केंद्रों का निरीक्षण करते समय उसका गहन अध्ययन करने के निर्देश दिए गए। मतदाता सहायता बूथों के सुव्यवस्थित संचालन एवं मॉडल मतदान केंद्रों पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाने पर भी जोर दिया गया।

#### मतदान केंद्रों पर बिजली, रोशनी और पेयजल की व्यवस्था के निर्देश

जिला निर्वाचन अधिकारी मुहम्मद जुनैद पी.पी. ने सभी मतदान केंद्रों पर बिजली, पर्याप्त रोशनी एवं आवश्यकता के अनुसार जनरेटर की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मतदान केंद्रों पर पेयजल सहित मतदाताओं के लिए आवश्यक आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने को कहा गया, ताकि मतदान प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न हो सके।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. दिनेश राय सापेला ने मतदान दलों के ठहरने, रहने एवं भोजन की व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए मतदान कार्मिकों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की कमी नहीं रहे और सभी आवश्यक इंतजाम समय रहते पूरे कर लिए जाएं।

#### दिव्यांग मतदाताओं के लिए वाहन सुविधा सुनिश्चित करने पर जोर

बैठक में दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा को लेकर भी चर्चा की गई। जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिए कि दिव्यांग मतदाताओं को मतदान केंद्र तक पहुंचने और मतदान करने में किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। इसके लिए आवश्यकतानुसार वाहन व्यवस्था सुनिश्चित की जाए तथा निर्धारित नियमों एवं अनुमतियों के अनुरूप वाहनों को मतदान केंद्र के निकट अथवा अंदर तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाए।

उन्होंने सभी एरिया मजिस्ट्रेट को सतर्क एवं मुस्तैद रहकर अपने-अपने क्षेत्रों में निरंतर निगरानी रखने के निर्देश दिए। ईवीएम संग्रहण की प्रक्रिया निर्धारित सुरक्षा प्रोटोकॉल के अनुरूप पूरी सतर्कता से संपन्न कराने तथा किसी भी प्रकार की आशंका या असामान्य स्थिति सामने आने पर तत्काल उच्चाधिकारियों को सूचित करने को कहा गया।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदान समाप्ति के पश्चात पोलिंग पार्टियों से फीडबैक प्राप्त करने के निर्देश भी दिए, ताकि उनकी मूलभूत आवश्यकताओं एवं व्यवस्थाओं से संबंधित समस्याओं का समयबद्ध समाधान किया जा सके। उन्होंने सभी अधिकारियों को आपसी समन्वय, सतर्कता और पूर्ण जिम्मेदारी के साथ चतुर्थ चरण की निर्वाचन प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न कराने के निर्देश दिए। बैठक के अंत में उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी अधिकारियों एवं पुलिस कार्मिकों को चतुर्थ चरण का चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए अग्रिम शुभकामनाएं दीं। बैठक में जयसमंद, झल्लारा एवं सराड़ा के समस्त संबंधित रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी, सर्किल प्रभारी, थाना प्रभारी तथा निर्वाचन कार्य से जुड़े अन्य अधिकारी एवं कार्मिक उपस्थित रहे।

## भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती पर जनजातीय गौरव सप्ताह में होंगे कई कार्यक्रम

- भाजपा जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मन्नालाल रावत ने दी जानकारी, जनजाति समाज के उत्थान के लिए भाजपा सरकार के कार्यों को रखा जाएगा सामने

**पदमावत मीडिया**
padmavatmedia@gmail.com

**राजस्थान ब्यूरो हेड : ऋचा पानेरी**

**उदयपुर।** 15 नवंबर 2026 को धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती के उपलक्ष्य में भाजपा की ओर से 11 से 18 नवंबर तक देश के प्रत्येक जनजाति बहुल जिले, विधानसभा क्षेत्र और मंडल में जनजातीय गौरव सप्ताह मनाया जा रहा है। इस दौरान विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। भाजपा द्वारा जनजाति समाज के उत्थान के लिए किए गए कार्यों को समाज के सामने रखा जाएगा। साथ ही कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम का भी खुलासा किया जाएगा।

भाजपा जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद डॉ. मन्नालाल रावत ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर 239 जनजाति जिलों और 568 विधानसभा क्षेत्रों सहित कुल 807 स्थानों तक कार्यक्रम पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए केंद्रीय समन्वय टोली, प्रदेश टोली और जिला टोली गठित की गई है।

कार्यक्रम के तहत 14 नवंबर को स्मारकों एवं मूर्तियों की सफाई और दीपोत्सव आयोजित होगा। 15 नवंबर को जिला स्तर पर प्रतिमाओं तथा प्रत्येक मंडल में भगवान बिरसा मुंडा के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। 16, 17 और 18 नवंबर को विधानसभा क्षेत्रों में युवा संवाद आयोजित होंगे। आदिवासी छात्रावास संपर्क अभियान के माध्यम से कार्यकर्ता छात्रावासों में



जाकर जनजातीय विद्यार्थियों से संवाद करेंगे तथा उन्हें भगवान बिरसा मुंडा के जीवन, जनजातीय गौरव दिवस के महत्व और जनजातीय कल्याण की योजनाओं से अवगत कराएंगे।

पूरे सप्ताह स्वाभिमान सम्मेलन, शोभायात्रा, प्रदर्शनी, सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद एवं मेले आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही पद्म सम्मानित व्यक्तित्वों, मन की बात के नायकों, समाजसेवियों, संतों और जनजातीय नायकों के परिजनों का अभिनंदन किया जाएगा। सरकारी आयोजनों में सहभागिता के साथ सोशल मीडिया अभियान भी चलाया जाएगा।

डॉ. रावत ने बताया कि जनजाति विकास पर भाजपा ने विशेष जोर दिया है। इसी के अनुरूप अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने वर्ष 1999 में पहली बार अलग जनजातीय कार्य मंत्रालय बनाया। वर्ष 2000 में झारखंड और छत्तीसगढ़ का गठन किया गया तथा वर्ष 2003 में संथाली और बोडो भाषा को आठवीं अनुसूची में स्थान दिया गया। संविधान संशोधन के माध्यम से वर्ष 2003 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना भी भाजपा सरकार द्वारा की गई।

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2022 में द्रौपदी मुर्मू देश की पहली जनजातीय महिला राष्ट्रपति बनीं। आज छत्तीसगढ़ में विष्णु देव साय, ओडिशा में मोहन चरण माझी और अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू भाजपा के जनजातीय मुख्यमंत्री हैं। भाजपा ने कई केंद्रीय मंत्रियों और संगठन की राष्ट्रीय टीम में भी जनजाति समाज को अच्छा प्रतिनिधित्व दिया है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में पहली बार विधानसभा की 9 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हुईं।

डॉ. रावत ने कहा कि राज्य की डबल इंजन सरकार ने अंत्योदय के दर्शन को धरातल पर उतारा है। इसका सर्वाधिक लाभ जनजाति समाज को मिला है।

उन्होंने कहा कि विपक्ष ने जनजाति समाज को दशकों तक केवल वोट बैंक समझा और आज भ्रम, भेद एवं भय की राजनीति कर रहा है। 55 वर्ष तक शासन करने के बावजूद कांग्रेस ने न तो जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया और न ही अलग जनजातीय कार्य मंत्रालय बनाया। बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, सिद्धो-कान्हू और गोविंद गुरु जैसे जनजातीय नायकों को इतिहास में हाशिये पर रखा गया।

डॉ. रावत ने आरोप लगाया कि वर्ष 2022 में जनजातीय महिला राष्ट्रपति के विरुद्ध प्रत्याशी उतारा गया और बाद में उनके लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। कांग्रेस के शासन में जनजातीय कार्य मंत्रालय का बजट लगभग 4,498 करोड़ रुपये रखा गया था, जिसे मोदी सरकार ने तीन गुना से अधिक बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 में संविधान बदलने और आरक्षण समाप्त करने का झूठ फैलाया गया, जबकि अनुसूचित जनजाति का आरक्षण सुरक्षित है और जम्मू-कश्मीर में तो पहली बार विधानसभा की सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई हैं।

## द्रास महाविद्यालय के भूविज्ञान विभाग ने अचकामल और संकू का शैक्षणिक भ्रमण किया

**पदमावत मीडिया**
padmavatmedia@gmail.com

**लेह।** गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज द्रास के भूविज्ञान विभाग की ओर से 11 नवंबर 2026 को प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए अचकामल और संकू का एक दिवसीय शैक्षणिक क्षेत्र भ्रमण आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को भूविज्ञान का व्यावहारिक अनुभव देना और कक्षा में पढ़े गए सिद्धांतों को वास्तविक भूगर्भीय परिस्थितियों से जोड़ना था। भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों को क्षेत्र की विभिन्न भूगर्भीय संरचनाओं, चट्टानों की पहचान एवं वर्गीकरण, शैल विज्ञान और भूगर्भीय विशेषताओं की जानकारी दी गई। साथ ही चट्टानों की परतों के झुकाव और दिशा का मापन करने तथा उनकी संरचनात्मक विशेषताओं को समझने का व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिया गया।

भ्रमण का संचालन डॉ. शोएब मकबूल और हुसैन के मार्गदर्शन में हुआ। उन्होंने विभिन्न स्थलों की भूगर्भीय महत्ता समझाते हुए विद्यार्थियों को चट्टानों के नमूनों और उनकी विशेषताओं का निरीक्षण कराया। विभाग ने महाविद्यालय के प्राचार्य नासिर







शाबानी के निरंतर सहयोग और प्रोत्साहन के प्रति आभार जताया। विभाग के अनुसार ऐसे क्षेत्र भ्रमण भूविज्ञान की शिक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जिनसे विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, निरीक्षण क्षमता, विश्लेषणात्मक सोच और व्यावहारिक कौशल विकसित होते हैं। विभाग ने भविष्य में भी इस तरह की शैक्षणिक गतिविधियां आयोजित करने की प्रतिबद्धता जताई।

## खबर संक्षेप

### डूंगरपुर में चिकित्सा अधिकारी 1,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

**डूंगरपुर @ पदमावत मीडिया।** भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की डूंगरपुर इकाई ने 12 नवंबर को कार्रवाई करते हुए पीएचसी झौथरी के चिकित्सा अधिकारी डॉ. अमीत परमार को परिवादी से 1,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी के विरुद्ध मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट (एमएलसी) बनाने की एवज में रिश्वत मांगने की शिकायत प्राप्त हुई थी। एसीबी के अनुसार, परिवादी ने डूंगरपुर इकाई में लिखित शिकायत दी थी कि मारपीट की घटना के संबंध में पुलिस थाना चौरासी में दर्ज एफआईआर के अनुसंधान के दौरान एमएलसी बनवाने के लिए पुलिस की तहरीर लेकर वह पीएचसी झौथरी पहुंचा था। वहां चिकित्सा अधिकारी डॉ. अमीत परमार ने जांचें लिखकर डूंगरपुर से करवाने के लिए कहा तथा एमएलसी बनाने की एवज में 10,000 रुपये की रिश्वत मांगी जा रही थी।



शिकायत पर नियमानुसार रिश्वत मांग का सत्यापन करवाया गया। सत्यापन के दौरान डॉ. अमीत परमार ने परिवादी से 2,000 रुपये लेने पर सहमति जताई। इसी दौरान आरोपी ने परिवादी से 1,000 रुपये प्राप्त कर लिए। इसके बाद एसीबी टीम ने ट्रैप कार्रवाई करते हुए आरोपी को 1,000 रुपये की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई एसीबी उदयपुर रेंज के प्रभारी पुलिस अधीक्षक पीयूष दीक्षित के सुपरविजन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेन्द्र सिंह जैन के नेतृत्व में डूंगरपुर इकाई की टीम ने की। कार्रवाई एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर की गई। एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस स्मिता श्रीवास्तव एवं महानिरीक्षक पुलिस एस. परिमला के सुपरविजन में आरोपी से पूछताछ और अग्रिम कार्रवाई जारी है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर मामले में आगे अनुसंधान किया जाएगा।

### उदयपुर के स्वराज नगर में चाकूबाजी का पदार्फाश, जानलेवा हमले के 6 आरोपी गिरफ्तार

**उदयपुर @ पदमावत मीडिया।** शहर के स्वराज नगर में दो युवकों पर चाकू से




जानलेवा हमला करने की वारदात का सूरजपोल थाना पुलिस ने खुलासा करते हुए छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने पुरानी रंजिश के चलते एकराय होकर दोनों युवकों पर चाकू से हमला किया था। गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी मोबाइल फोन बंद कर लगातार अपने ठिकाने बदल रहे थे। पुलिस ने 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने और तकनीकी सहायता से आरोपियों की पहचान कर उन्हें रेलवे कॉलोनी की झाड़ियों से गिरफ्तार किया। जिला पुलिस अधीक्षक डॉ. अमृता दुहन के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर उमेश ओझा और वृत्ताधिकारी नगर पूर्व छवि शर्मा के सुपरविजन में थानाधिकारी सूरजपोल कमलेन्द्र सिंह के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। घटना 9 नवंबर 2026 की शाम करीब 7:30 बजे की है। स्वराज नगर निवासी शेखर (22) अपने दोस्त जितु उर्फ भुरिया के साथ घर से निकला था। दोनों स्वराज नगर गली नंबर 1 से गली नंबर 10 की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान निर्मल पालीवाल डेयरी के पास पुरानी रंजिश के चलते आरोपियों ने उनका रास्ता रोक लिया। आरोपियों ने दोनों युवकों के साथ गाली-गलौच और मारपीट करते हुए जान से मारने की नीयत से चाकू से ताबड़तोड़ वार किए। हमले में शेखर को गंभीर चोटें आईं, जबकि उसका साथी जितु भी गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की। टीम ने घटनास्थल और आसपास के क्षेत्र में लगे 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। तकनीकी अनुसंधान और साइबर सेल की मदद से हमलावरों की पहचान की गई। गिरफ्तार आरोपियों में राकेश (31) पुत्र रमेश, दिशान्त (21) पुत्र विमलसिंह, साहिल उर्फ बड़ा भैया (20) पुत्र शमशेर, साहिल (20) पुत्र आदेश, साहिल उर्फ छोटा भैया (23) पुत्र शमशेर और मोहम्मद कामिल (20) पुत्र मोहम्मद आबिद शामिल हैं। सभी आरोपी स्वराज नगर क्षेत्र के निवासी हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में हमले के कारणों और अन्य पहलुओं को लेकर अग्रिम अनुसंधान जारी है। इस कार्रवाई में थानाधिकारी कमलेन्द्र सिंह, सहायक उप निरीक्षक ओमवीर सिंह, हेड कांस्टेबल गणेशलाल, साइबर सेल के हेड कांस्टेबल कुलदीप सिंह तथा कांस्टेबल हितेन्द्र सिंह, गणिराज सिंह, शिवलाल और भावेश शामिल रहे।

# राजसमंद के मनकियावास में छह ग्राम पंचायतों के नवनिर्वाचित सरपंचों उपसरपंच एवं वार्ड पंचों का भव्य अभिनंदन, पप्पू नाथ रावल ने किया सम्मान

- पारंपरिक स्वागत-सत्कार से जनप्रतिनिधियों का बढ़ाया मान, पदमावत मीडिया के प्रधान संपादक पवन जैन पदमावत का भी हुआ स्वागत-सम्मान, बड़ी संख्या में ग्रामीण रहे मौजूद





पदमावत मीडिया
padmavatmedia@gmail.com

**राजसमंद।** जिले की पंचायत समिति भीम के अंतर्गत ग्राम पंचायत कालागुमान के गांव मनकियावास में 11 नवंबर को नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के सम्मान में भव्य स्वागत एवं अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। समारोह में छह ग्राम पंचायतों के नवनिर्वाचित सरपंचों, उपसरपंच एवं वार्ड पंचों का पारंपरिक रीति-रिवाजों और आत्मीयता के साथ स्वागत-सम्मान किया गया। इस अवसर पर पदमावत मीडिया के प्रधान संपादक पवन जैन पदमावत का भी विशेष स्वागत एवं सम्मान किया गया। गांव में आयोजित इस समारोह में उत्साह, अपनत्व और सामाजिक सौहार्द का सुंदर संगम देखने को मिला। बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने उपस्थित होकर जनप्रतिनिधियों और अतिथियों का अभिनंदन किया।

कार्यक्रम के आयोजक पप्पू नाथ रावल ने सभी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों एवं अतिथियों का आत्मीय स्वागत करते हुए उनका सम्मान किया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों के प्रति सम्मान और ग्रामीण लोकतंत्र में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया गया। समारोह का माहौल उत्साहपूर्ण रहा। ग्रामीणों ने भी पूरे उल्लास के साथ स्वागत-सत्कार में भागीदारी निभाई और अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के साथ सामाजिक जुड़ाव एवं आपसी विश्वास का परिचय दिया।

#### छह ग्राम पंचायतों के सरपंचों का हुआ अभिनंदन

समारोह में ग्राम पंचायत कालागुमान, तहसील भीम की नवनिर्वाचित सरपंच रेखा देवी वैष्णव, पत्नी श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर भगवान नंदगिरी जी महाराज; ग्राम पंचायत सेगणवास, पंचायत समिति आमेट की सरपंच



संगीता रावल, पुत्री भेरुनाथ जी; ग्राम पंचायत कोयल, तहसील कुंभलगढ़ की सरपंच मीना देवी, पत्नी पारस गुर्जर; ग्राम पंचायत पिपरेलु, तहसील भीम के सरपंच महेंद्र सिंह; ग्राम पंचायत नरदास का गुड़ा, तहसील भीम के सरपंच पिंटू नाथ जी तथा ग्राम पंचायत खरनोटा, तहसील कुंभलगढ़ के सरपंच गणपत सिंह जी का स्वागत एवं सम्मान किया गया।

इनके साथ ग्राम पंचायत कालागुमान, तहसील भीम के उपसरपंच हीरा सिंह जी का भी विशेष अभिनंदन किया गया। समारोह में उपस्थित जनप्रतिनिधियों का पारंपरिक तरीके से स्वागत कर उन्हें नए दायित्वों के सफल निर्वहन के लिए शुभकामनाएं दी गईं। अलग-अलग ग्राम पंचायतों से निर्वाचित प्रतिनिधियों की एक मंच पर मौजूदगी ने आयोजन को विशेष स्वरूप प्रदान किया।

#### पदमावत मीडिया के प्रधान संपादक पवन जैन पदमावत का भी किया सम्मान

समारोह के दौरान पदमावत मीडिया के प्रधान संपादक पवन जैन पदमावत का भी आयोजक पप्पू नाथ रावल एवं ग्रामीणों की



ओर से आत्मीय स्वागत-सम्मान किया गया। इस अवसर पर उनकी पत्रकारिता एवं सामाजिक गतिविधियों से जुड़े कार्यों के प्रति सम्मान व्यक्त किया गया। पवन जैन पदमावत ने इस आत्मीय सम्मान के लिए आयोजक और उपस्थित ग्रामीणों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे आयोजन सामाजिक एकता, आपसी सद्भाव और जनप्रतिनिधियों के प्रति सकारात्मक वातावरण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

#### पप्पू नाथ रावल ने किया आत्मीय अभिनंदन

आयोजक पप्पू नाथ रावल ने सभी नवनिर्वाचित सरपंचों, उपसरपंच एवं वार्ड पंचों का भव्य स्वागत-सम्मान करते हुए उनके प्रति सम्मान और विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने जनप्रतिनिधियों के नए कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दीं। समारोह के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि लोकतंत्र में निर्वाचित जनप्रतिनिधि केवल अपने पद या पंचायत तक सीमित नहीं होते, बल्कि वे ग्रामीणों की अपेक्षाओं, विश्वास और विकास की



जिम्मेदारी भी निभाते हैं। कार्यक्रम में मौजूद ग्रामीणों ने भी जनप्रतिनिधियों का उत्साहपूर्वक अभिनंदन किया। ग्रामीणों की बड़ी भागीदारी ने समारोह को यादगार बना दिया। गांव के लोगों ने सभी जनप्रतिनिधियों के उज्ज्वल कार्यकाल की कामना करते हुए उम्मीद जताई कि उनके नेतृत्व में गांवों में विकास कार्यों को नई गति मिलेगी और आमजन की समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान होगा।

#### सामाजिक एकता और ग्रामीण विकास का दिया संदेश

मनकियावास में आयोजित यह समारोह केवल स्वागत-सम्मान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने आपसी मेल-मिलाप, सामाजिक समरसता, भाईचारे और सामूहिक सहयोग की भावना को भी मजबूती प्रदान की। अलग-अलग ग्राम पंचायतों के जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों का एक स्थान पर एकत्रित होना क्षेत्रीय एकजुटता का परिचायक बना। ऐसे आयोजन ग्रामीण समाज में आपसी संबंधों को मजबूत करने और जनप्रतिनिधियों तथा आमजन के बीच संवाद एवं समन्वय बढ़ाने में महत्वपूर्ण



भूमिका निभाते हैं। समारोह में ग्रामीणों ने अपेक्षा जताई कि सभी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि अपने-अपने पंचायत क्षेत्रों में पेयजल, सड़क, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य, मूलभूत सुविधाओं और जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को प्राथमिकता देंगे। साथ ही ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान करने और प्रत्येक वर्ग को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए मिलकर कार्य करेंगे।

मनकियावास में आयोजित इस भव्य अभिनंदन समारोह ने यह संदेश दिया कि जनप्रतिनिधियों का सम्मान वास्तव में लोकतांत्रिक व्यवस्था, जनविश्वास और जनसेवा के प्रति सम्मान है। पप्पू नाथ रावल की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों के साथ पदमावत मीडिया के प्रधान संपादक पवन जैन पदमावत का सम्मान और ग्रामीणों की उत्साहपूर्ण सहभागिता ने आयोजन को विशेष पहचान दी। समारोह का समापन सभी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के सफल, जनहितकारी और विकासोन्मुखी कार्यकाल की मंगलकामनाओं के साथ हुआ।

# उदयपुर के सवीना में युवक की हत्या का 24 घंटे में पदार्फाश, पांच आरोपी गिरफ्तार, बाल अपचारी डिटेन



पदमावत मीडिया
padmavatmedia@gmail.com

**उदयपुर।** सवीना थाना क्षेत्र के घोल की पाटी स्थित खेड़ा देवी इलाके में युवक की हत्या के मामले का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर पदार्फाश करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक विधि से संघर्षरत बाल अपचारी को डिटेन किया गया है। पुलिस जांच में सामने आया कि सिगरेट दिलाने की बात पर हुए विवाद की रंजिश के चलते आरोपियों ने एकराय होकर युवक पर लकड़ी के लट्ठों से हमला कर उसकी हत्या कर दी थी।

पुलिस के अनुसार, 10 नवंबर 2026 को मांगीलाल लौहार निवासी घोल की पाटी, खेड़ा देवी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि 9 नवंबर की शाम करीब 8:30 बजे उनके छोटे भाई अर्जुन लौहार का रास्ते में ओंकार लाल लौहार, उसके बेटों और साथियों से झगड़ा हुआ था। समझाइश के बाद मामला शांत हो गया था, लेकिन रात करीब 10:25 बजे आरोपी सोची-समझी योजना के तहत एकराय होकर अर्जुन के घर में घुस आए और लकड़ी के लट्ठों से उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। सिर में गंभीर चोट लगने से अर्जुन लहूलुहान होकर गिर पड़ा। परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।

जिला पुलिस अधीक्षक डॉ. अमृता दुहन के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर उमेश ओझा और वृत्ताधिकारी नगर पूर्व छवि शर्मा के सुपरविजन में सवीना थानाधिकारी दलबीर सिंह के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार ठिकाने बदल रहे थे। पुलिस ने मुखबिर तंत्र और तकनीकी संसाधनों की मदद से पांच आरोपियों को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया तथा एक बाल अपचारी को डिटेन किया।

गिरफ्तार आरोपियों में ओंकार लाल (51) पुत्र नारायण लाल, अर्जुन (21) पुत्र ओंकार लाल, दिनेश (30) पुत्र अमरा उर्फ अमृत लाल और राहुल (18) पुत्र भगवानलाल, सभी निवासी खेड़ा देवी, घोल की पाटी, थाना सवीना तथा लोकेश (24) पुत्र हीरालाल, निवासी वजीरपुरा थाना डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़, हाल निवासी खेड़ा देवी, घोल की पाटी शामिल हैं। न्यायालय में पेश करने के बाद ओंकार लाल, लोकेश और दिनेश को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है, जबकि राहुल और अर्जुन का पुलिस रिमांड लिया गया है। बाल अपचारी को बाल संप्रेषण गृह भेजा गया है।

इस कार्रवाई में थानाधिकारी दलबीर सिंह, उप निरीक्षक रविन्द्र पाटीदार, सहायक उप निरीक्षक जीवतराम, हेड कांस्टेबल समुन्द्र सिंह भाटी और विक्रम सिंह तथा कांस्टेबल मांगीलाल, छगनलाल, खरताराम, राजेन्द्र प्रसाद, आनन्द, जिग्नेश, विजय सिंह और लक्ष्मण शामिल रहे।

# देश के 45 लाख से अधिक गंभीर दिव्यांगजनों को राहत की उम्मीद, पीएमओ ने सुझावों पर लिया त्वरित संज्ञान

पदमावत मीडिया
padmavatmedia@gmail.com

**राजस्थान ब्यूरो हेड : ऋचा पानेरी**

**उदयपुर।** देश के 45 लाख से अधिक गंभीर दिव्यांगजनों के लिए राहत की उम्मीद जगी है। राजस्थान दिव्यांग कल्याण संघ की ओर से गंभीर दिव्यांगजनों की नियुक्ति, पदोन्नति और आवश्यक सुविधाओं के लिए विशेष नीति बनाने को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजे गए सुझावों पर त्वरित संज्ञान लिया गया है। केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ओर से इन सुझावों को भविष्य के नीतिगत निर्णयों और अनुपालन के लिए संज्ञान में लेने की जानकारी दिए जाने पर संघ ने प्रसन्नता व्यक्त की है। राजस्थान दिव्यांग कल्याण संघ के अध्यक्ष संजय कुमार पानेरी और महामंत्री सत्यनारायण जोशी के नेतृत्व में संगठन ने संभागीय आयुक्त खजान सिंह के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम आभार ज्ञापन प्रस्तुत किया। संघ अध्यक्ष संजय कुमार पानेरी ने बताया कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत दिव्यांगता की श्रेणियां 7 से बढ़ाकर 21 किए जाने के बाद देश में गंभीर दिव्यांगजनों की संख्या



वर्तमान में लगभग 45 लाख से अधिक हो गई है। इन गंभीर दिव्यांगजनों की नियुक्ति, पदोन्नति और अन्य आवश्यक सुविधाओं के लिए अलग एवं विशेष नीति बनाने की आवश्यकता को लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री को विस्तृत ऑनलाइन प्रार्थना पत्र भेजा था। पानेरी ने बताया कि 11 अक्टूबर 2026 को प्रस्तुत इस प्रार्थना पत्र में वास्तविक तथ्यों, सर्वोच्च न्यायालय के प्रासंगिक निर्णयों, केंद्र सरकार के सुसंगत नियमों और विभिन्न कानूनों का उल्लेख करते हुए गंभीर दिव्यांगजनों की समस्याओं को सामने रखा गया था। इसमें बताया गया कि वर्तमान नीतियों में 40 प्रतिशत दिव्यांगता वाले और 80 प्रतिशत से अधिक गंभीर दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को समान मानकर नीतिगत लाभ दिए जा रहे हैं, जो मानवीय दृष्टिकोण से व्यावहारिक नहीं है। गंभीर दिव्यांगजनों की विशेष परिस्थितियों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अलग नीति बनाने की मांग की गई थी।

#### 23 अक्टूबर को मंत्रालय ने पोर्टल पर दी जानकारी

संघ की ओर से भेजे गए प्रार्थना पत्र पर प्रधानमंत्री कार्यालय और भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने त्वरित संज्ञान लिया। मंत्रालय ने 23 अक्टूबर 2026 को आधिकारिक पोर्टल पर दर्ज जानकारी में बताया कि प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत सभी सुझावों और बिंदुओं को विधिवत देखा और समझा गया है तथा उन्हें भविष्य के नीतिगत निर्णयों एवं अनुपालन के लिए नोट कर लिया गया है।

केंद्र सरकार की इस त्वरित और सकारात्मक पहल के प्रति आभार व्यक्त करते हुए राजस्थान दिव्यांग कल्याण संघ ने संभागीय आयुक्त खजान सिंह को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। पानेरी ने कहा कि संगठन को विश्वास है कि सरकार की इस पहल से देश के 45 लाख से अधिक गंभीर रूप से प्रभावित दिव्यांगजनों को न्याय मिलने की दिशा में सकारात्मक रास्ता तैयार होगा। इससे इस संवेदनशील वर्ग में नई ऊर्जा, विश्वास और उत्साह का संचार होगा।

# सीकर में सीआईडी क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, 41.510 किलो गांजा जब्त; झुंझुनूं निवासी तस्कर गिरफ्तार

पदमावत मीडिया
padmavatmedia@gmail.com

**सीकर।** राजस्थान पुलिस की सीआईडी क्राइम ब्रांच की स्पेशल टीम ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बलारा थाना क्षेत्र में एक स्विफ्ट कार से 41 किलो 510 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया है। पुलिस ने इस मामले में झुंझुनूं जिले के खिरोड़ निवासी राकेश कुमार को गिरफ्तार किया है। जब्त गांजे की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 21 लाख रुपये आंकी गई है। प्रारंभिक पूछताछ में गांजा और कार विकास कुमार धींवा निवासी सेवापुरा, खिरोड़ की होना सामने आया है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है।

महानिदेशक पुलिस राजीव कुमार शर्मा के निदेर्शानुसार अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (अपराध) बिपिन कुमार पाण्डेय के निर्देशन में सीआईडी क्राइम ब्रांच की स्पेशल टीम अवैध मादक पदार्थ और हथियार तस्करों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में बुधवार, 11 नवंबर की देर रात यह कार्रवाई की गई। महानिरीक्षक पुलिस सीआईडी (अपराध) के.बी. वंदना के मार्गदर्शन, उपमहानिरीक्षक पुलिस दीपक भार्गव के सुपरविजन तथा उपनिरीक्षक शैलेन्द्र कुमार के नेतृत्व में हेड कांस्टेबल रविन्द्र सिंह और कुलदीप सिंह की टीम को सीकर और फतेहपुर क्षेत्र में आसूचना संकलन के लिए भेजा गया था।

#### मुखबिर की सूचना पर कार की घेराबंदी

इसी दौरान हेड कांस्टेबल रविन्द्र सिंह को सूचना मिली कि स्विफ्ट कार नंबर फख 18 उऋ 2905 में संदिग्ध सामान लेकर सीकर से लक्ष्मणगढ़ होते हुए झुंझुनूं की ओर ले जाया जा रहा है। सूचना पर सीकर एसपी संजीव नैन से समन्वय किया गया। उनके निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तेजपाल और सीओ लक्ष्मणगढ़ जाकिर अख्तर के पर्यवेक्षण में सीआईडी क्राइम ब्रांच की टीम ने बलारा थानाधिकारी और पुलिस जाब्ते के साथ संयुक्त कार्रवाई की।

लक्ष्मणगढ़ की ओर से आ रही संदिग्ध कार को पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो चालक



ने कार को लहराते हुए भगाने का प्रयास किया। पुलिस टीम ने काफी मशक्कत के बाद कार रुकवाई। चालक ने कार लॉक कर दरवाजे नहीं खोले और दोबारा भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिसकर्मियों ने उसे काबू कर लिया।

सीओ लक्ष्मणगढ़ जाकिर अख्तर की मौजूदगी में बलारा थानाधिकारी और पुलिस जाब्ते ने कार की तलाशी ली। कार की पिछली सीट के पास रखे पीले कट्टे से 16 किलो 370 ग्राम तथा डिग्गी में रखे सफेद कट्टे से 25 किलो 140 ग्राम गांजा बरामद हुआ। दोनों कट्टों में गांजे के कुल 20 पैकेट रखे थे। इस तरह



पुलिस ने कुल 41 किलो 510 ग्राम गांजा जब्त किया। मामले में बलारा थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर राकेश कुमार को गिरफ्तार किया गया है। मामले का अनुसंधान दादिया थानाधिकारी संजय पूनिया कर रहे हैं।

#### पूछताछ में दूसरे तस्कर का नाम आया सामने

प्रारंभिक पूछताछ में गिरफ्तार राकेश कुमार ने बताया कि गांजा और कार उसके साथी विकास कुमार धींवा निवासी सेवापुरा, खिरोड़ की है। आरोपी के अनुसार विकास कुमार कुछ दूरी पहले कार से उतर गया था और उसने आगे पहुंचकर फोन करने पर वापस आने को कहा था। पुलिस को विकास कुमार के बड़े स्तर पर मादक पदार्थों के कारोबार में शामिल होने की जानकारी मिली है। पुलिस उसकी तलाश करने के साथ ही तस्करी के नेटवर्क की भी जांच कर रही है।

#### सीआईडी और बलारा पुलिस टीम की रही अहम भूमिका

इस कार्रवाई में सीआईडी क्राइम ब्रांच के हेड कांस्टेबल रविन्द्र सिंह और कुलदीप सिंह की आसूचना संकलन, विशेष प्रयास और तकनीकी भूमिका रही, जबकि उपनिरीक्षक शैलेन्द्र कुमार ने टीम का नेतृत्व किया। इसके अलावा बलारा थानाधिकारी कैलाशचन्द, एएसआई पूरण सिंह और रोहिताश, हेड कांस्टेबल श्रीराम तथा कांस्टेबल हिम्मत सिंह, तनवीर, सुरेश, निरंजन, जयसिंह, महेश कुमार और कांस्टेबल चालक रविप्रकाश का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

## खबर संक्षेप

### बांदीपोरा में विधायक हिलाल अकबर लोन ने विकास कार्यों और शीतकालीन तैयारियों की समीक्षा की

**बांदीपोरा @ पदमावत मीडिया।** सोनावारी के विधायक एडवोकेट हिलाल अकबर लोन ने मिनी सचिवालय में विभिन्न विभागों के



अधिकारियों की बैठक लेकर विकास कार्यों की प्रगति और सर्दियों की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में सड़क, पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, खेल मैदान, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और बर्फबारी के दौरान सड़कें साफ करने के लिए मशीनरी एवं कर्मचारियों की तैनाती पर चर्चा हुई। विधायक ने सभी विभागों को जिला प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर समस्याओं का समयबद्ध समाधान करने और विकास कार्यों को निर्धारित समय में पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में एसडीएम सुम्बल, मुख्य योजना अधिकारी, विभिन्न विभागों के अभियंता और संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

### जयपुर जिला निर्वाचन अधिकारी और एसपी ने मतदान केंद्र व संग्रहण केंद्र का किया निरीक्षण

**जयपुर @ पदमावत मीडिया।** पंचायतीराज आम चुनाव की तैयारियों के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) संदेश नायक एवं जयपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक हनुमान प्रसाद मीना ने



गुरुवार को साईपुरा मतदान केंद्र और पंचायत समिति आंधी के पीएम श्री उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थित संग्रहण केंद्र का निरीक्षण किया। जमवारामगढ़ में अधिकारियों की बैठक लेकर मतदान दलों के प्रशिक्षण, रवानगी, मतदान केंद्रों की सुविधाओं और कानून-व्यवस्था की समीक्षा की। अधिकारियों को संवेदनशील मतदान केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने, असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखने तथा आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। संग्रहण केंद्र पर स्ट्रांग रूम, सुरक्षा, प्रकाश और अन्य व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने तथा ईवीएम की सुरक्षा में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने को कहा।

### जयपुर में अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई, 4 हजार रुपये कैरिंग चार्ज वसूला

**जयपुर @ पदमावत मीडिया** नगर निगम जयपुर की सतर्कता शाखा ने गुरुवार को वैशाली नगर, खातीपुरा रोड, पंचायत समिति के सामने कालवाड़ रोड, निवारू रोड और नांगल जैसा पुलिया के पास अस्थायी अतिक्रमण हटाने की



कार्रवाई की। उपायुक्त सतर्कता के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई के दौरान एक कैंटर सामान जब्त कर गोदाम भिजवाया गया तथा अतिक्रमण करने वालों से मौके पर 4 हजार रुपये कैरिंग चार्ज वसूला गया। टीम ने संबंधित लोगों को भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने की समझाइश देते हुए चेतावनी दी कि दोबारा अतिक्रमण पाए जाने पर भारी चालान सहित प्रभावी कार्रवाई की जाएगी।

### जयपुर में 'दीवाली खुशियों वाली' प्रतियोगिता की अंतिम तिथि बढ़ी, अब 19 नवंबर तक आवेदन

**जयपुर @ पदमावत मीडिया।** नगर निगम की 'दीवाली खुशियों वाली' प्रतियोगिताओं में आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 19 नवंबर 2026 कर दी गई है। अब सभी सात श्रेणियों के प्रतिभागी दीपावली के दौरान की गई सजावट की मोबाइल गैलरी में सुरक्षित तस्वीरें भी अपलोड कर सकेंगे। इसके लिए दोबारा सजावट या नई तस्वीरें लेने की जरूरत नहीं होगी। प्रतियोगिता में वार्ड स्तरीय, आवासीय, व्यावसायिक, संस्थागत और बाजार सजावट की श्रेणियां शामिल हैं। वार्ड स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार के रूप में 51 लाख, द्वितीय को 31 लाख, तृतीय को 21 लाख और चौथे से दसवें स्थान तक प्रत्येक वार्ड को 11 लाख रुपये के अतिरिक्त विकास कार्य दिए जाएंगे।

# जैसलमेर में पंचायतीराज चुनाव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था सख्त, पुलिस ने किया फ्लैग मार्च

**14 और 16 नवंबर को मतदान के मद्देनजर पुलिस, आरएसी और होमगार्ड का जाब्ता रहेगा तैनात, एसपी अभिषेक शिवहरे ने अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को दिए आवश्यक निर्देश**

पदमावत मीडिया
padmavatmedia@gmail.com

**जैसलमेर।** पंचायतीराज चुनाव-2026 के दौरान निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और भयमुक्त मतदान सुनिश्चित करने के लिए जैसलमेर पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे के निर्देशन में जिलेभर में पुलिस, आरएसी और होमगार्ड का जाब्ता तैनात रहेगा। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद रखने के साथ कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस अधिकारियों और जवानों को विशेष दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

पंचायतीराज चुनाव के तहत 14 और 16 नवंबर 2026 को मतदान होना है। इसके मद्देनजर जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे ने 12 नवंबर को जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय सभागार में चुनाव ड्यूटी में लगाए गए पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की ब्रीफिंग की। उन्होंने सभी को अपनी ड्यूटी पूरी मुस्तैदी और सतर्कता से निभाने के निर्देश दिए। साथ ही आमजन के साथ संयमित व्यवहार



करने, निर्धारित मतदान केंद्र पर तैनात रहने तथा केंद्रों के आसपास अनावश्यक भीड़ एकत्रित नहीं होने देने की हिदायत दी। उन्होंने चुनाव आयोग के निदेर्शों और आदर्श आचार संहिता की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया।

#### जिलेभर में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च

चुनाव के दौरान शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयमुक्त मतदान का माहौल बनाने के लिए जैसलमेर पुलिस ने जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया। जिला पुलिस



अधीक्षक अभिषेक शिवहरे के आदेशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जैसलमेर सुरेश साखला और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पोकरण वीरेन्द्र सिंह के निर्देशन में यह अभियान चलाया गया। वृत्ताधिकारी जैसलमेर रूपसिंह ईन्दा, वृत्ताधिकारी पोकरण कैलाश कंवर और वृत्ताधिकारी नाचना किशनसिंह के नेतृत्व में संबंधित थानाधिकारियों ने अपने-अपने क्षेत्र में पुलिस जाब्ते के साथ फ्लैग मार्च किया। इस दौरान आमजन से शांतिपूर्वक और निर्भीक होकर लोकतंत्र के महापर्व में मतदान करने की अपील की गई।

#### एसपी ने मतदाताओं से की सहयोग की अपील

जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे ने जिले के सभी मतदाताओं से मतदान दिवस पर पुलिस की ओर से बनाई गई व्यवस्थाओं की पालना करने और कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मतदाता स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके, इसके लिए पुलिस ने पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम किए हैं। उन्होंने नागरिकों से मतदान को लोकतंत्र के महापर्व और त्योहार की तरह मनाने, स्वयं मतदान करने तथा दूसरों को भी मतदान के लिए प्रेरित करने का आह्वान किया।

ब्रीफिंग के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेश साखला, वृत्ताधिकारी रूपसिंह ईन्दा, पुलिस उपअधीक्षक एससी/एसटी सेल प्रेमदान सहित पुलिस के अधिकारी उपस्थित रहे। चुनाव के दौरान पुलिस, आरएसी और होमगार्ड के जवान विभिन्न मतदान केंद्रों एवं निर्धारित क्षेत्रों में तैनात रहकर सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे।

## उदयपुर में मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित, 18 .34 लाख मतदाता दर्ज; युवाओं के नाम जोड़ने पर रहेगा विशेष जोर

पदमावत मीडिया
padmavatmedia@gmail.com

**राजस्थान ब्यूरो हेड : ऋचा पानेरी**

**उदयपुर।** भारत निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाता सूचियों के अद्यतनीकरण के लिए घोषित विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम-2027 के तहत गुरुवार को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन किया गया। उदयपुर जिले में प्रारूप मतदाता सूची के अनुसार कुल 18 लाख 34 हजार 814 मतदाता दर्ज हैं। इनमें 9 लाख 44 हजार 444 पुरुष और 8 लाख 90 हजार 370 महिला मतदाता शामिल हैं।

आयोग के निदेर्शानुसार जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव अग्रवाल के निर्देशन में गुरुवार को कलेक्ट्रेट मिनी सभागार में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और मीडिया कर्मियों की अलग-अलग बैठकें आयोजित की गईं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं एडीएम प्रशासन दीपेंद्र सिंह राठौड़ ने विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की प्रारूप मतदाता सूची-2027 की एक सॉफ्ट कॉपी (फोटोरहित) और एक हार्ड कॉपी निःशुल्क उपलब्ध कराई गई है।

मतदाता सूची जिला निर्वाचन अधिकारी एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट ीू्रङ्घल्ल.ह्लङ्घ२ङ्घल्लॅ.ङ्घ५.ल्ल पर भी उपलब्ध है। मतदाता ऑनलाइन अपना नाम खोज सकते हैं। इसके अलावा सभी बीएलओ के पास बूथवार प्रारूप मतदाता सूची की हार्ड कॉपी उपलब्ध रहेगी। मतदाता अपने



बीएलओ से संपर्क कर भी सूची में अपना नाम जांच सकते हैं।

#### 11 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां

उप जिला निर्वाचन अधिकारी राठौड़ ने बताया कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 12 नवंबर से 11 दिसंबर 2026 तक मतदाता सूची के संबंध में दावे और आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। इस अवधि में प्राप्त आवेदनों का निस्तारण निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की ओर से 28 दिसंबर 2026 तक किया जाएगा। मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 4 जनवरी 2027 को होगा। दावे-आपत्ति अवधि में प्राप्त आवेदनों की सूची प्रत्येक सप्ताह निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय के बाहर चस्पा की जाएगी। ये सूचियां संबंधित वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहेंगी। ईआरओ प्रत्येक सप्ताह मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उन्हें आवेदनों की सूची उपलब्ध करवाएंगे।

#### 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं पर विशेष फोकस

बैठक में बताया गया कि अभियान के दौरान 1 जनवरी 2027 तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवाओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, हटाने और प्रविष्टियों में संशोधन की प्रक्रिया निरंतर जारी रहती है। इसके लिए क्रमशः फॉर्म-6, 7 और 8 ईसीआईनेट एप, वोटर पोर्टल अथवा voters.eci.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन भरे जा सकते हैं। पात्र नागरिक संबंधित बीएलओ से संपर्क कर भी आवेदन कर सकते हैं।

राठौड़ ने अधिक से अधिक पात्र लोगों के नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और मीडिया कर्मियों से सहयोग की अपील की। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची की किसी प्रविष्टि के संबंध में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 24 तथा निर्वाचक पंजीकरण नियम, 1960 के नियम 23 एवं 27 के तहत अपील की जा सकती है। प्रथम अपील 15 दिवस में जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष तथा जिला मजिस्ट्रेट के निर्णय से असंतुष्ट होने पर द्वितीय अपील उनके निर्णय के 15 दिवस के भीतर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान के समक्ष प्रस्तुत की जा सकती है। बैठक में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी गिर्वा एवं एडीएम सिटी जितेंद्र ओझा सहित विभिन्न मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और मीडियाकर्मी उपस्थित रहे।

## कोटा में मॉडिफाइड साइलेंसर से दहशत फैलाने वालों पर पुलिस की सख्ती, 235 वाहन चालकों पर कार्रवाई

पदमावत मीडिया
padmavatmedia@gmail.com

**कोटा।** मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर तेज धमाकों जैसी आवाज से आमजन में दहशत फैलाने वाले दुपहिया वाहन चालकों के खिलाफ राजस्थान पुलिस ने सख्त अभियान चलाया है। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा के निदेर्शानुसार सड़क सुरक्षा और सुगम यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कोटा शहर यातायात पुलिस ने विशेष कार्रवाई करते हुए 235 वाहन चालकों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की। इस दौरान 235 मॉडिफाइड साइलेंसर जब्त किए गए, जिन्हें वाहनों से निकलवाकर रोड रोलर से नष्ट कर दिया गया।

पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम ने बताया कि पुलिस महानिरीक्षक कोटा रेंज के निर्देशन में चलाए गए इस अभियान का उद्देश्य ऐसे वाहन चालकों पर अंकुश लगाना है, जो मॉडिफाइड साइलेंसर से अचानक तेज धमाकों जैसी आवाज निकालकर आमजन और राहगीरों को परेशान करते हैं। इस तरह की आवाज से वाहन चालकों का ध्यान भटकने के साथ सड़क दुर्घटनाओं की आशंका भी बनी रहती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस प्रकार के साइलेंसर लगवाना नियम विरुद्ध है और मोटर वाहन अधिनियम के तहत दंडनीय है।

#### मिस्त्रियों और दुकानदारों पर भी होगी कार्रवाई

एसपी तेजस्वनी गौतम ने बताया कि अब पुलिस मॉडिफाइड साइलेंसर का उपयोग करने वाले वाहन चालकों के साथ ही इन्हें लगाने वाले मिस्त्रियों और बेचने वाले दुकानदारों के विरुद्ध भी कार्रवाई करेगी। इसके लिए वाहन चालकों से प्राप्त जानकारी के आधार पर संबंधित मिस्त्रियों और विक्रेताओं को चिह्नित किया जाएगा।



**235 मॉडिफाइड साइलेंसर जब्त कर रोड रोलर से किए नष्ट, अब साइलेंसर लगाने वाले मिस्त्रियों और विक्रेताओं पर भी होगी कार्रवाई**

#### फोटो और वीडियो भेजकर दे सकते हैं सूचना

कोटा पुलिस ने वाहन चालकों से यातायात नियमों की पालना करने और दुपहिया वाहनों में मॉडिफाइड साइलेंसर का उपयोग नहीं करने की अपील की है। जिन वाहन चालकों ने ऐसे साइलेंसर लगवा रखे हैं, वे उन्हें तत्काल हटवा लें। आमजन मॉडिफाइड साइलेंसर लगाने वाले मिस्त्रियों, विक्रेताओं और ऐसे साइलेंसर लगे वाहनों की फोटो या वीडियो पुलिस नियंत्रण कक्ष कोटा शहर के व्हाट्सऐप नंबर 9530442777 पर भेज सकते हैं। इसके अलावा यातायात पुलिस नियंत्रण कक्ष के नंबर 07442350741 पर भी सूचना दी जा सकती है। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।

एसपी ने कहा कि राजस्थान पुलिस आमजन की सुविधा, सड़क सुरक्षा और शांतिपूर्ण यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस तरह की अवैधानिक गतिविधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई जारी रखेगी।

## कोलकाता के पूर्व डीसीपी की 2.78 करोड़ रुपये की संपत्ति ईडी ने कुर्क की

**कोलकाता @ पदमावत मीडिया।** प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के कोलकाता जोनल कार्यालय-द्वितीय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोलकाता पुलिस के पूर्व डीसीपी शांतनु सिन्हा बिस्वास और उनके परिजनों व सहयोगियों की 2.78 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क की हैं। इनमें कोलकाता के तीन फ्लैट और मुर्शिदाबाद के कांदी में स्थित जमीन शामिल है। जांच में जबरन वसूली, जमीन पर अवैध कब्जे और अनधिकृत निर्माण के जरिए अपराध की कमाई अर्जित करने का आरोप सामने आया है। ईडी ने इस मामले में पहले की गई तलाशी के दौरान 1.64 करोड़ रुपये नकद, सोने के आभूषण, एक टोयोटा



फॉर्च्यूनर कार, बिना लाइसेंस का रिवॉल्वर तथा दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त किए थे। पूर्व डीसीपी शांतनु सिन्हा बिस्वास, जय एस. कामदार और बिस्वजीत पोद्दार उर्फ सोना पप्पू को धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया जा चुका है और तीनों न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी के अनुसार शांतनु बिस्वास ने कथित तौर पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर कम से कम 2.89 करोड़ रुपये की अपराध से अर्जित संपत्ति हासिल की और वास्तविक स्वामित्व छिपाने के लिए कुछ संपत्तियां कंपनियों एवं परिजनों के नाम पर रखीं। मामले में मुख्य और दो पूरक अभियोजन शिकायतें दाखिल की जा चुकी हैं। आगे की जांच जारी है।

## उदयपुर के कोटड़ा में पोलिंग बूथ और पुलिस टीम पर पथराव के मामले में आठ आरोपी गिरफ्तार

पदमावत मीडिया
padmavatmedia@gmail.com

**कोटड़ा।** सरपंच चुनाव की मतगणना के बाद पोलिंग बूथ, पुलिस मोबाइल पार्टी और पोलिंग पार्टी की बस पर पथराव कर सरकारी संपत्ति में तोड़फोड़ करने के मामले में कोटड़ा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फरार चल रहे आठ नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों को अवकाशकालीन न्यायालय उदयपुर में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

पुलिस के अनुसार, कोटड़ा थाना क्षेत्र के मण्डवाल स्थित पोलिंग बूथ पर सरपंच चुनाव की मतगणना के बाद विजयी घोषित सरपंच का विरोध करते हुए आरोपियों ने पथराव किया था। इस दौरान पोलिंग बूथ, पुलिस मोबाइल पार्टी और पोलिंग पार्टी की बस को निशाना बनाया




गया। आरोपियों ने राजकार्य में बाधा पहुंचाने के साथ सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। इस संबंध में कोटड़ा थाने में प्रकरण संख्या 170/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं एवं पीडीपीपी एक्ट में मामला दर्ज किया गया था।

जिला पुलिस अधीक्षक डॉ. अमृता दुहन के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय मुकुल शर्मा और वृत्ताधिकारी कोटड़ा डूंगर सिंह चुण्डावत के सुपरविजन में थानाधिकारी प्रभूलाल के नेतृत्व में टीम गठित की गई। पुलिस टीम ने संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश देकर मामले में वांछित आठ आरोपियों कनकमल (20) पुत्र भोजाराम, नोलिया (65) पुत्र साजा, सोहनलाल (40) पुत्र रामचन्द्र, प्रवीण कुमार (27) पुत्र रावजी, भमरु (42) पुत्र थावराजी, मालाराम (53) पुत्र हाकला और राकेश (22) पुत्र पुनाराम, सभी निवासी मण्डवाल, तथा नुराराम (32) पुत्र हगरा, निवासी गुर्रा, थाना कोटड़ा को गिरफ्तार किया।

पुलिस मामले में शामिल अन्य फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। इस कार्रवाई में थानाधिकारी प्रभूलाल, सहायक उपनिरीक्षक प्रवीण कुमार तथा कांस्टेबल शंभुलाल, उत्पल, शिवसिंह और गजराजसिंह शामिल रहे।

## भटेवर में आदिब्रह्मा आदिनाथ फाउंडेशन ने जरूरतमंद परिवारों को बांटी राशन सामग्री, मिठाई और वस्त्र

पदमावत मीडिया
padmavatmedia@gmail.com

**भटेवर।** सेवा, सहयोग और मानवता के उद्देश्य को लेकर कार्यरत आदिब्रह्मा आदिनाथ फाउंडेशन, भींडर की ओर से भटेवर में झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले जरूरतमंद एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राशन सामग्री, मिठाई के पैकेट और वस्त्र वितरित किए गए। फाउंडेशन की इस पहल का उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों के चेहरों पर मुस्कान लाना और उनके साथ त्योहार की खुशियां साझा करना रहा। फाउंडेशन के सदस्यों ने जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचकर उन्हें राशन सामग्री एवं कपड़े भेंट किए। इस



सेवा कार्य के माध्यम से समाज में सेवा, समर्पण और परोपकार का संदेश दिया गया। संस्था की ओर से जरूरतमंद परिवारों की सहायता को मानवता और सामाजिक जिम्मेदारी का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया गया। इस अवसर पर फाउंडेशन के निदेशक अनिल स्वर्णकार ने कहा कि मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। समाज के सक्षम लोगों को जरूरतमंद परिवारों की सहायता के लिए आगे आना चाहिए। हमारा प्रयास है कि कोई भी परिवार त्योहार की खुशियों से वंचित नहीं रहे। उन्होंने इस पुनीत कार्य में सहयोग प्रदान करने वाले सभी दानदाताओं, भामाशाहों एवं सहयोगकर्ताओं का हृदय से आभार व्यक्त किया। फाउंडेशन का संकल्प है कि भविष्य में भी शिक्षा, चिकित्सा, गौसेवा और जरूरतमंद परिवारों की सहायता के क्षेत्र में निरंतर सेवा कार्य जारी रखे जाएंगे। वितरण कार्यक्रम में संस्था निदेशक अनिल स्वर्णकार, ईश्वर प्रजापत, कैलाश शर्मा, श्रवण जणवा सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे।

## जयपुर में पंचायत चुनाव के चौथे चरण की तैयारी पूरी, 13 नवंबर को रवाना होंगे मतदान दल

**जयपुर @ पदमावत मीडिया।** पंचायतीराज आम चुनाव के चौथे चरण के लिए 13 नवंबर को अंतिम प्रशिक्षण के बाद मतदान दल श्री भवानी निकेतन कॉलेज ऑफ फार्मेसी परिसर से रवाना होंगे। इस चरण में बस्सी, तूंगा, जमवारामगढ़ और आंधी पंचायत समितियों की 140 ग्राम पंचायतों के 446 मतदान केंद्रों पर चुनाव होंगे। जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पदों के लिए 14 नवंबर तथा पंच-सरपंच पदों के लिए 16 नवंबर को सुबह 7 से शाम 6 बजे तक मतदान कराया जाएगा। पंच-सरपंच चुनाव के लिए 15 नवंबर को नामांकन होगा और मतदान के बाद ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर मतगणना की जाएगी। उपसरपंच का चुनाव 17 नवंबर तथा जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पदों की मतगणना 20 नवंबर को होगी।

## खबर संक्षेप

### उदयपुर की श्रीराम नगर कॉलोनी में दीपावली स्नेह मिलन समारोह

**वैदिक यज्ञ से दिया सुख-समृद्धि और विश्व शांति का संदेश**

**उदयपुर @ पदमावत मीडिया।** सेक्टर-6 स्थित श्रीराम नगर कॉलोनी में गुरुवार को दीपावली स्नेह मिलन समारोह वैदिक यज्ञ अनुष्ठान के साथ



आयोजित किया गया। वैदिक पुरोहित भूपेंद्र शर्मा ने मंत्रोच्चार के साथ यज्ञ संपन्न करवाया। इसमें कॉलोनी के सभी सदस्यों की सुख-समृद्धि, शांति और आरोग्यता के लिए सामूहिक प्रार्थना की गई। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि वार्ड 57 की पार्षद निर्मला पालीवाल रहीं, जबकि अध्यक्षता वरिष्ठ अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉ. ओ.डी. माथुर ने की। आयुर्वेदाचार्य वेद मित्र आर्य ने यज्ञ के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यज्ञ देव पूजा, संगतिकरण और दान का प्रतीक है। इससे प्रेम, अपनत्व और संगठन की भावना बढ़ती है। उन्होंने यज्ञ को रोगाणुओं के नाश, रोग निवारण और पर्यावरण शुद्धि में सहायक बताया। यज्ञ के बाद विश्व शांति के लिए सामूहिक प्रार्थना की गई। कॉलोनी की महिलाओं ने मधुर भजनों की प्रस्तुतियां दीं। शांति पाठ और जयघोष के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि निर्मला पालीवाल ने क्षेत्र के विकास को गति देने और विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए आश्वस्त किया। कार्यक्रम के अंत में सुनीत शर्मा ने आभार व्यक्त किया।

### बांदीपोरा में साइबर अपराध और डिजिटल अरेस्ट से बचाव के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

**पुलिस ने ऑनलाइन धोखाधड़ी, वित्तीय अपराध और सोशल मीडिया से जुड़े साइबर खतरों के प्रति किया जागरूक**

**बांदीपोरा @ पदमावत मीडिया।** साइबर अपराधों के प्रति आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से जिला पुलिस बांदीपोरा ने साइबर पुलिस थाना और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) के सहयोग से गुरुवार को जिला पुलिस लाइन के सम्मेलन कक्ष में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया।




कार्यक्रम में डिजिटल अरेस्ट के नाम पर होने वाली ठगी, ऑनलाइन धोखाधड़ी, वित्तीय साइबर अपराध, सोशल मीडिया से जुड़े अपराध और तेजी से उभरते अन्य साइबर खतरों पर विशेष जानकारी दी गई। प्रतिभागियों को साइबर ठगों द्वारा लोगों को झांसे में लेने और उनकी आर्थिक एवं व्यक्तिगत जानकारी का दुरुपयोग करने के तरीकों से अवगत कराया गया। कार्यक्रम में साइबर अपराधों से बचाव के उपाय, सुरक्षित डिजिटल व्यवहार, व्यक्तिगत एवं वित्तीय जानकारी की सुरक्षा और साइबर ठगी की घटना होने पर तत्काल संबंधित माध्यमों से शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया समझाई गई। साथ ही साइबर अपराधों के मामलों में उपलब्ध कानूनी उपायों और सहायता तंत्र की जानकारी भी दी गई। पुलिस ने कहा कि ऐसे जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से नागरिकों को साइबर खतरों की पहचान करने, उनसे बचने और समय पर उचित कदम उठाने के लिए सक्षम बनाया जा रहा है। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने भविष्य में भी इस तरह की पहल जारी रखने की प्रतिबद्धता जताई।

### जयपुर में राज्यपाल हरिभाऊ बागडे से उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी सहित गणमान्यजनों ने की मुलाकात

**जयपुर @ पदमावत मीडिया।** राज्यपाल हरिभाऊ बागडे से गुरुवार को लोकभवन में उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी, सांसद मंजू शर्मा, विधायक गोपाल शर्मा सहित बड़ी संख्या में



गणमान्यजनों ने मुलाकात की। सभी ने राज्यपाल को दीपावली के नववर्ष की बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। लोकभवन में सुबह से ही शुभकामनाएं देने के लिए लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने भी सभी का अभिनंदन करते हुए उन्हें बधाई और मंगलकामनाएं दीं।

# राजसमंद में नशे के अवैध कारोबार पर सख्ती के निर्देश, जिला कलेक्टर और एसपी ने तस्करी रोकने के लिए बनाई प्रभावी रणनीति

**एनकॉर्ड एवं नशा मुक्त भारत अभियान की समीक्षा बैठक में अवैध खेती, परिवहन, बिक्री और भंडारण पर निगरानी बढ़ाने के निर्देश, मेडिकल स्टोर्स के नियमित निरीक्षण पर भी जोर**

पदमावत मीडिया
padmavatmedia@gmail.com

**राजसमंद।** जिले में मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध बिक्री और नशीली दवाओं के दुरुपयोग पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए प्रशासन और पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा एवं जिला पुलिस अधीक्षक हेमंत कलाल ने गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में एनकॉर्ड (ठउडफ्ळ) एवं नशा मुक्त भारत अभियान के तहत आयोजित जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में संबंधित विभागों को समन्वय के साथ प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बैठक में मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध कारोबार, नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम और नशामुक्ति के लिए संचालित गतिविधियों की विस्तृत समीक्षा की गई।

जिला कलेक्टर ने कहा कि मादक पदार्थों की अवैध तस्करी और नशे की बढ़ती प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस, प्रशासन, चिकित्सा, शिक्षा और अन्य संबंधित विभागों को मिलकर काम करना होगा। उन्होंने नशीले पदार्थों की अवैध खेती, परिवहन, बिक्री और भंडारण पर सतत निगरानी रखने तथा ऐसी गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वन विभाग और अन्य




सरकारी भूमि पर मादक पदार्थों की अवैध खेती की पहचान के लिए नियमित सर्वेक्षण करने पर भी जोर दिया।

**मेडिकल स्टोर्स और नशीली दवाओं की बिक्री पर रहेगी निगरानी**

बैठक में एनडीपीएस अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरणों, वाणिज्यिक मात्रा से संबंधित मामलों में वित्तीय जांच तथा अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों की पहचान और जब्ती की कार्रवाई की समीक्षा की गई। जिला कलेक्टर ने नशीली दवाओं की अवैध बिक्री, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स और रिटेलर्स पर प्रभावी निगरानी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने ड्रग कंट्रोलर, राजसमंद को मेडिकल स्टोर्स का नियमित निरीक्षण करने और नियमों के उल्लंघन पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। जिला पुलिस अधीक्षक हेमंत कलाल ने मादक पदार्थों की तस्करी एवं अवैध कारोबार के विरुद्ध प्रभावी प्रवर्तन कार्रवाई पर जोर दिया। बैठक में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68-एफ के तहत कार्रवाई, मादक पदार्थों से संबंधित आसूचना के आदान-प्रदान तथा ऑपरेशन फ्लश आउट और ऑपरेशन क्लीन के तहत की गई कार्रवाई की समीक्षा की गई। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ओर से तस्करी की रोकथाम के लिए संचालित राष्ट्रव्यापी अभियान और मानस पोर्टल (1933) के संबंध में भी चर्चा हुई।

**युवाओं को नशे से बचाने के लिए जागरूकता अभियान पर जोर**

जिला कलेक्टर ने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत विद्यालयों, महाविद्यालयों और ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक जनजागरूकता गतिविधियां संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराना और समाज में नशामुक्ति के प्रति सकारात्मक वातावरण तैयार करना जरूरी है। इसके लिए शिक्षा विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, चिकित्सा विभाग और संबंधित संस्थाएं सक्रिय भूमिका निभाएं।

बैठक में जिले में संचालित नशामुक्ति केंद्रों, उपचार एवं पुनर्वास सुविधाओं, विद्यालयों और महाविद्यालयों में आयोजित जागरूकता कार्यक्रमों तथा नशामुक्ति गतिविधियों की समीक्षा की गई। लाभार्थियों की स्थिति और अभियान के निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप विभागवार प्रगति का भी जायजा लिया गया। जिला कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को नियमित मॉनिटरिंग कर अभियान की प्रभावी क्रियान्विति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

**प्रवर्तन के साथ नशामुक्ति और पुनर्वास को भी मिले प्राथमिकता**

बैठक में जिला स्तरीय एनकॉर्ड समिति के अंतर्गत विभिन्न विभागों को सौंपे गए दायित्वों, पूर्व बैठकों में दिए गए निर्देशों की अनुपालना और विभागवार प्रगति की समीक्षा की गई। जिला कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि नशे की रोकथाम के लिए केवल कार्रवाई पर्याप्त नहीं है, बल्कि जनजागरूकता, उपचार और पुनर्वास गतिविधियों को भी समान प्राथमिकता देनी होगी।

बैठक में पुलिस, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, वन विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

## लेह में नगर समिति चुनाव 2026 की तैयारियों की सामान्य एवं व्यय पर्यवेक्षकों ने की समीक्षा



**मतदान केंद्रों पर पेयजल, छाया, बैठने, शौचालय और दिव्यांगजनों के लिए रैंप सहित आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश**

पदमावत मीडिया
padmavatmedia@gmail.com

**लेह।** नगर समिति चुनाव 2026 की तैयारियों और व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, ओल्ड राज निवास, करजू स्थित सम्मेलन कक्ष में सभी रिटर्निंग अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सामान्य पर्यवेक्षक त्सेरिंग पलदान, जेकेएएस, निदेशक स्कूल शिक्षा ने की। इस दौरान व्यय पर्यवेक्षक एवं वित्त निदेशक स्टैंजिन डोंसल भी मौजूद रहीं। सामान्य पर्यवेक्षक ने आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन कराने और चुनाव प्रक्रिया को सुचारू, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी रिटर्निंग अधिकारियों को अपने मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर पेयजल, छाया, बैठने की व्यवस्था, शौचालय, दिव्यांग मतदाताओं के लिए रैंप, पर्याप्त रोशनी और संकेतक जैसी सुविधाएं सुनिश्चित करने को कहा।

बैठक में मतदान व्यवस्था, मतदान कर्मियों के प्रशिक्षण एवं तैनाती, कानून-व्यवस्था बनाए रखने, चुनावी अभिलेखों के संधारण और समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने संबंधी जिम्मेदारियों पर भी चर्चा हुई। व्यय पर्यवेक्षक स्टैंजिन डोंसल ने बताया कि उम्मीदवारों के चुनावी खर्च के लेखों की जांच 16 और 19 नवंबर 2026 को सहायक रिटर्निंग अधिकारियों तथा व्यय निगरानी दलों के समन्वय से की जाएगी। उन्होंने उम्मीदवारों के खर्च का उचित हिसाब रखने और निर्धारित सीमा के भीतर सभी व्यय का विवरण दर्ज कर रिपोर्ट प्रस्तुत कराने के निर्देश दिए।

## राजसमंद में जनशिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा ने अधिकारियों को दिए त्वरित समाधान के निर्देश

पदमावत मीडिया
padmavatmedia@gmail.com

**राजसमंद।** जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा ने जनशिकायतों के निस्तारण में संवेदनशीलता और जवाबदेही बरतने के निर्देश देते हुए कहा कि प्रत्येक प्रकरण का त्वरित, समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट स्थित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में राजस्थान संपर्क पोर्टल, सीपीग्राम्स (उढत्रह्लभटर) एवं रिफॉर्मेटिव न्यूज मॉनिटरिंग सिस्टम (फ्लटर) पोर्टल पर दर्ज लंबित प्रकरणों की विभागवार समीक्षा की।

बैठक में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बृजमोहन बैरवा ने विभिन्न विभागों से संबंधित लंबित शिकायतों की एक-एक कर जानकारी प्रस्तुत की। उन्होंने विभागवार प्रकरणों की वर्तमान स्थिति और निस्तारण की प्रगति से अवगत कराया। जिला कलेक्टर ने प्रत्येक प्रकरण का अवलोकन करते हुए संबंधित अधिकारियों से उसके लंबित रहने के कारणों की जानकारी ली तथा आवश्यक कार्रवाई कर शीघ्र समाधान करने के निर्देश दिए।

जिला कलेक्टर ने कहा कि जनशिकायतों का प्रभावी निस्तारण सुशासन की महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। सभी अधिकारी आमजन की समस्याओं के प्रति संवेदनशील और जवाबदेह दृष्टिकोण अपनाएं।



**संपर्क, सीपीग्राम्स और आरएनएमएस पोर्टल के लंबित प्रकरणों की विभागवार समीक्षा, बोले-शिकायतों का समाधान केवल औपचारिकता नहीं, परिवादी को मिले वास्तविक राहत**

शिकायतों का निस्तारण केवल औपचारिकता तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि यह सुनिश्चित किया जाए कि परिवादी को वास्तविक राहत मिले। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक शिकायत का तथ्यात्मक परीक्षण कर निर्धारित समयसीमा में समाधान किया जाए और निस्तारण से संबंधित अद्यतन रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड की जाए।

**समाचार पत्रों में प्रकाशित जनसमस्याओं पर भी तत्काल कार्रवाई के निर्देश**

जिला कलेक्टर ने आरएनएमएस पोर्टल पर दर्ज समाचार पत्रों में प्रकाशित जनसमस्याओं और विभागीय विषयों से संबंधित समाचारों की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि समाचार पत्रों के माध्यम से प्रशासन के संज्ञान में आने वाली समस्याओं को गंभीरता से लिया जाए। संबंधित विभाग प्रत्येक समाचार पर तत्काल आवश्यक कार्रवाई करें और की गई कार्रवाई की तथ्यात्मक रिपोर्ट निर्धारित समय में पोर्टल पर अपलोड करें।

उन्होंने लंबित प्रकरणों की नियमित मॉनिटरिंग करने और उनके निस्तारण में अनावश्यक विलंब नहीं होने देने के निर्देश दिए। अधिकारियों को अपने विभाग से संबंधित शिकायतों की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करने तथा विभिन्न स्तरों पर प्रभावी समन्वय स्थापित कर प्रकरणों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनसमस्याओं के समाधान में लापरवाही या अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए।

बैठक में सभी जिला स्तरीय अधिकारी कलेक्ट्रेट स्थित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में उपस्थित रहे। वहीं जिले के सभी उपखंड अधिकारी, विकास अधिकारी एवं तहसीलदार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक से जुड़े।

## राजसमंद में अवैध खनन और खनिज परिवहन पर सख्ती के निर्देश, जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा ने अधिकारियों को दी प्रभावी निगरानी की जिम्मेदारी

पदमावत मीडिया
padmavatmedia@gmail.com

**राजसमंद।** जिले में अवैध खनन, खनिजों के अनधिकृत निर्गमन और परिवहन पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा ने संबंधित अधिकारियों को प्रभावी निगरानी और प्रवर्तन कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में उनकी अध्यक्षता में जिला स्तरीय खनिज विकास, पर्यावरण संरक्षण एवं अवैध खनन निगरानी समिति की बैठक आयोजित हुई। इसमें जिले में अवैध खनन और खनिज परिवहन की रोकथाम के लिए संचालित गतिविधियों की समीक्षा की गई।

जिला कलेक्टर ने कहा कि अवैध खनन और खनिजों के अनधिकृत निर्गमन एवं परिवहन पर प्रभावी रोक लगाने के लिए संबंधित विभाग आपसी समन्वय से काम करें। खनन संभावित क्षेत्रों और खनिज परिवहन मार्गों पर नियमित जांच की जाए। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों और वाहनों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए




**जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक में खनन संभावित क्षेत्रों और परिवहन मार्गों पर नियमित जांच के निर्देश, माइंस वेब पोर्टल से ई-रवन्ना सत्यापन का दिया प्रशिक्षण**

सतत निगरानी, प्रभावी सूचना तंत्र और विभागीय समन्वय जरूरी है।

**माइंस वेब पोर्टल से ई-रवन्ना की जांच का प्रशिक्षण**

बैठक में अधिकारियों को खान एवं भू-विज्ञान विभाग के माइंस वेब पोर्टल के माध्यम से ई-रवन्ना की नवीनतम जानकारी प्राप्त करने और उसका सत्यापन करने का प्रशिक्षण भी दिया गया। अधिकारियों को पोर्टल पर उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर खनिज परिवहन की वैधता जांचने तथा संदिग्ध गतिविधियों की पहचान कर आवश्यक कार्रवाई करने की प्रक्रिया समझाई गई।

जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए कि अधिकारी तकनीकी संसाधनों और ऑनलाइन उपलब्ध सूचनाओं का प्रभावी उपयोग करते हुए खनिज परिवहन की नियमित जांच करें। उन्होंने कहा कि ई-रवन्ना का सत्यापन और खनिज परिवहन से जुड़े अभिलेखों की जांच अवैध निर्गमन पर नियंत्रण स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। सभी संबंधित अधिकारी नियमित निरीक्षण और प्रवर्तन कार्रवाई को प्राथमिकता दें।

बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेंद्र पारीक सहित खान एवं भू-विज्ञान विभाग के संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं जिले के सभी उपखंड अधिकारी एवं तहसीलदार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक से जुड़े।

## नसीराबाद में पत्रकारों ने लिया स्वच्छ एवं निष्पक्ष पत्रकारिता का संकल्प

**नसीराबाद @ पदमावत मीडिया।** कस्बे के फ्रामजी चौक स्थित जार के जिला कार्यालय में बुधवार को संघर्षशील पत्रकार ग्रुप के तत्वावधान में दीपावली स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विधानसभा क्षेत्र के पत्रकारों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और एक-दूसरे को दीपावली की शुभकामनाएं देकर आपसी भाईचारे एवं सौहार्द का संदेश दिया। समारोह का शुभारंभ वरिष्ठ पत्रकार दिलीप राय शर्मा ने क्षेत्र के दिवंगत पत्रकार अतुल सेठी के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए किया। उपस्थित पत्रकारों ने उनकी स्मृतियों को याद किया और उनके आदर्शों पर चलते हुए स्वच्छ, निष्पक्ष एवं जिम्मेदार पत्रकारिता करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर पत्रकारों ने कहा कि पत्रकारिता का उद्देश्य समाज की समस्याओं को प्रमुखता से उठाना और आमजन की आवाज जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंचाना है। नसीराबाद नगर की मूलभूत समस्याओं के समाधान तथा जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता से उठाने के लिए सामूहिक प्रयास करने पर भी जोर दिया गया। समारोह में अजीत सेठी, अशोक लोढ़ा, दिलीप राय शर्मा, विमला वैष्णव, अनिल लोहरे, योगेश बुलचंदानी, शिव प्रकाश प्रजापति, रोहित जैन, निखिल गुर्जर, योगेंद्र बुलचंदानी और श्याम सिंह सांखला सहित क्षेत्र के अनेक पत्रकार उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन दीपावली की शुभकामनाओं और एकता एवं आपसी स्नेह के संदेश के साथ हुआ।

**संघर्षशील पत्रकार ग्रुप के दीपावली स्नेह मिलन समारोह में दिवंगत पत्रकार अतुल सेठी को दी श्रद्धांजलि**

### प्रतापगढ़ में नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी

**प्रतापगढ़ @ पदमावत मीडिया।** जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2027 (कक्षा 6) के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। परीक्षा 28 नवंबर 2026 को आयोजित होगी। पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय बसेड़ा, छोटीसादड़ी की प्राचार्य मंजू लता ने बताया कि अभ्यर्थी नवोदय विद्यालय समिति की आधिकारिक वेबसाइट ttps://cbseitms.rcil.gov.in/nvs पर प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। उन्होंने परीक्षार्थियों से समय रहते प्रवेश पत्र डाउनलोड करने और परीक्षा संबंधी निदेर्शों का पालन करने की अपील की है।

# जीवन के तार न अधिक कसें, न ढीले छोड़ें : प्रशांत अग्रवाल

पदमावत मीडिया
padmavatmedia@gmail.com

**उदयपुर।** नारायण सेवा संस्थान के अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल के सानिध्य में आयोजित ह्यअपनों से अपनी बातह्ण कथा में भगवान बुद्ध के जीवन, बोध प्राप्ति और लोककल्याणकारी शिक्षाओं का प्रेरक प्रसंग सुनाया गया। अग्रवाल ने कहा कि जीवन में संतुलन ही सुख और शांति का आधार है। जीवन के तार न अधिक कसने चाहिए और न इतने ढीले छोड़ने चाहिए कि उनकी मधुरता ही खो जाए।



भगवान बुद्ध का मध्यम मार्ग इसी संतुलित जीवन की सीख देता है। उन्होंने बताया कि कठिन साधना से बोध प्राप्ति के बाद बुद्ध ने मानव कल्याण के लिए अपने अनुभव जन-जन तक पहुँचाने का संकल्प लिया। कमल के फूलों के उदाहरण से उन्होंने समझा कि संसार में अलग-अलग स्तर की समझ रखने वाले लोग हैं, जिन्हें उचित मार्गदर्शन से सत्य का बोध कराया जा सकता है। इसके बाद उन्होंने सारनाथ के मृगवन में अपने पाँच पूर्व तपस्वी साथियों को पहला उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है।

अग्रवाल ने बुद्ध के चार आर्य सत्यों और आर्य अष्टांगिक मार्ग की व्याख्या करते हुए सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाणी, कर्म, आजीविका, प्रयास, स्मृति और समाधि को जीवन में आत्मसात करने का संदेश दिया। यश नामक धनवान युवक के प्रसंग के माध्यम से बताया कि वास्तविक सुख भौतिक वैभव में नहीं, बल्कि आत्मबोध और लोककल्याण की भावना में निहित है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को अलग-अलग दिशाओं में जाकर मानवता और कल्याण का संदेश प्रसारित करने की प्रेरणा दी।

कथा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। इस अवसर पर दिव्यांगजनों से संवाद कर उनकी जिज्ञासाओं को सुना गया।

स्वत्वाधिकारी व प्रकाशक : पवन माँगीलाल जैन उर्फ पवन जैन पदमावत, प्रधान कार्यालय - गणेश नगर, कांदिवली वेस्ट, मुम्बई, महाराष्ट्र, भारत - 400067 से अमुद्रित ऑनलाइन प्रकाशित । सम्पादक : पवन माँगीलाल जैन उर्फ पवन जैन पदमावत, मो. नं.: +91-95945-42679 / e-mail: padmavatmedia@gmail.com / Web: padmavatmedia.in / पंजीकृत संख्या : MH180326353 / (नोट : पीआरबी एक्ट के तहत खबरों के चयन के लिए उत्तरदायी) । सभी विवादों का न्याय क्षेत्र मुम्बई, महाराष्ट होगा । उक्त ई-पेपर को अवैध रुप से छपवाना कानूनी अपराध हैं।